तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-3-25	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया अब पत्रावली पुर्वानुसार दि० 15-5-25 को पेश की जावे (हस्ताक्षर)
15-5-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 2-7-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
2-7-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 13-8-25 को पेश की जावे
13-8-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 9-9-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-9-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 25-9-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25-9-25	पत्रावली पेश हुई ~~S.D.O. सा~~ केम्प मे पधारे है। ~~वकील वादी उप~~ अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक ~~23~~ 29-9-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
29-9-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई वाद वादी का सिद्ध नही होने से वाद अ- धा- 88 R.T.A का खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो (हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्याः– 55/2022

घीसालाल पिता ठाकरी जाति धोबी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधी राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर, चितौडगढ
2. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 29.09.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी को दिनांक 19.05.1989 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ द्वारा मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का केरपुरा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी एवं दिनांक 19.05.1989 को ही पटवारी हल्का कैरपुरा द्वारा आराजी संख्या 236 मे से 5 बीघा रकबा का वादी को कब्जा सिपुर्द किया गया था इसी दिनांक से वादी आराजी संख्या 236 के रकबा 5 बीघा पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के आवंटन आदेश होने के पश्चात दिनांक 07.09.1989 को एक पत्र उपजिलाधीश महोदय कार्यालय बेगूँ से जारी हुआ जिसमें राजस्व कर्मचारियो ने गलती से आराजी संख्या 236 मे रकबा 5बीघा के बजाय 2 बीघा का अंकन कर दिया लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त उप जिलाधीश महोदय कार्यालय बेगूके पत्र की पालना में ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कैरपुरा का नामान्तरण संख्या 98 दर्ज किया गया जिसमें रकबा 5 बीघा ही भरा गया परन्तु नीचे अंकित नोट में उक्त पत्र का अंकन को दर्शाते हुए रकबा 2बीघा का ही नामान्तरण निर्णित किया गया।

यह कि वादी के उक्त वाद वर्णित भूमि के आवंटन के समय सम्वत 2045 की खसरा गिरदावरी पटवारी हल्का द्वारा दर्ज की गयी जिसमें नामान्तरण संख्या 98 मे रकबा 5बीघा अंकित किया गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने पत्र में अंकित लीपिकीय त्रुटी से जमाबंदी में रकबा 2 बीघा ही दर्ज कर दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटी का परिणाम है।

यह कि वादी को आवंटित भूमि की मिसल में खाली सरकारी भूमि के आवंटन आदेश में आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन होना अंकित है आवेदन पत्र मे रकबा 5 बीघा अंकित है पर्चा एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का केरपुरा में रकबा 5 बीघा अंकित है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से 07.09.1989 को जारी पत्र में रकबा 2 बीघा का अंकन कर दिया गया जिससे राजस्व रेकार्ड में वादी के भूमि का रकबा 5 बीघा के स्थान पर 2 बीघा का अंकन कर दिया गया जिससे राजस्व रेकार्ड में वादी के भूमि का रकबा 5 बीघा के स्थान पर 2 बीघा अंकित दर्ज कर दी गई थी। जिसे सुधारे जाने हेतु वादी द्वारा अपने अधिवाक्ता के मार्फत एक पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 03.03.2022 को प्रतिवादीगण को भिजवाया गया जो प्रतिवादीगण को प्रापत हो जाने के बाद 60 दिवस की अवधि व्यतीत होने के बावजूद वादी की उक्त आराजीयात का रकबा नहीं सुधारे जाने के कारण यह वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि वादी को मौजा लक्ष्मीपुरा में दिनांक 19.05.1989 को आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा का आवंटन आदेश होने से वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम रकबा 5 बीघा बीघा दर्ज किये जाने की घोषणा हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है। यह कि वाद कारण वादी को अपनी

उक्त भूमि पर ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की जानकारी चाही तो वादी को पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 2 बीघा भूमि दर्ज होने की कहने एवं वादी द्वारा उक्त भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर दिनांक 03.03.2022 को अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादीगण को वाद वर्णित भूमि के रकबा को सुधारे जाने हेतु प्रेषित करवाने के पश्चात भी वर्णित भूमि का रकबा 5बीघा अंकित नहीं किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का केरपुरा तह. बेगूँ में स्थित है पक्षकारान भी यही के निवासी है एवं काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा का वाद होन`सें समायत न्यायालय श्रीमान आप है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :–

क– कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी मौजा लक्ष्मीपुरा में दिनांक 19.05.1989 को आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा का आवंटन आदेश होने से वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम रकबा 5 बीघा दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

ख– कि वाद व्यय वकील मेहनताना आदी वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

ग– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कियाजाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ न्यायालय में उपस्थित हुए। तथा वाद पत्र का जवाब कलमवाद प्रस्तुत करते हुए जवाब दावा में वाद पत्र की कलम संख्या 1, 2, 3, 4 को वादी स्वय प्रमाणित करने का कथन जवाब दावा में अंकित किया तथा वाद पत्र की कलम संख्या 5, 6, 7, 8 , 9,10 व 11 को कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने का कथन जवाब दावा में अंकित किया है। तथा जवाब दावा के विशेष कथन में अंकन किया कि :–

" यह क वादी घीसालाल पिता ठाकरी धोबी निवासी लक्ष्मीपुरा को ग्राम लक्षमीपुरा में आराजी नम्बर 236 मे रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन हुआ । आवंटन आदेश के अनुसार ही जरिये नामान्तरण संख्या 98 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ। वादी का वर्तमान में आराजी नं. 236 मे रकबा 2 बीघा भूमि पर ही कब्जा है। आराजी नम्बर 236 मे शेष रकबा 4.13 हैक्टर आरक्षित चारागाह (सेट अपार्ट) होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत है जिन पर खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नही हो सकता है। " अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश है।

वादपत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नलिखित तनकी पत्र पृथक से तेयार कर शामिल पत्रावली किये गये जो निम्न प्रकार से हैः–

1– आया कि वाद पत्र मे वर्णित कृषि आराजी मौजा लक्ष्मीपुरा में दिनांक 19.05.1989 को आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा का आवंटन आदेश होने से वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम रकबा 5 बीघा दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें?

................वादी

2– आया कि वादी घीसालाल पिता ठाकरी धोबी निवासी लक्ष्मीपुरा में आराजी नम्बर 236 में रकबा 02 बीघा भूमि का आवंटन आदेश के अनुसार ही जरिये नामान्तरण संख्या 98 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ। वादी का वर्तमान में आराजी नम्बर 236 मे रकबा 2 बीघा भूमि ही कब्जा है। आ.नं. 236 मे शेष रकबा 4.13 हैक्टर आरक्षित चारागाह (सेट अपार्ट) होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत है जिन पर खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हो सकता है?

.................प्रतिवादी

3– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम होने के पश्चात वादी की ओर से पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी घीसालाल पिता ठाकरी धोबी, गवाह मोहनलाल पिता रूपा मीणा, गवाह शांतिलाल पिता कालूलाल मीणा गवाह शंकरलाल पिता देवीलाल धाकड एवं गवाह गिरधारीलाल पिता हरिराम मीणा के प्रस्तुत किये। वादी एवं उनके गवाह से मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया एवं प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जिरह किये जाने पर वादी बताया कि उन्हें 5 बीघा भूमि का आंवटन हुआ था, लेकिन खाते में भूमि 2 बीघा दर्ज है लेकिन वादी

कब्जा 5बीघा भूमि पर है, यह कहना गलत है कि आराजी संख्या 236 चारागाह हो बल्कि बेलाना सरकार भूमि है जिससे भूमि आवंटन होने का कथन मुख्य परीक्षण में किया है।

इसी प्रकार वादी गवाह शांतिलाल पिता कालु मीणा, शंकरलाल पिता देवीलाल धाकड, ने भी वादी को 5 बीघा भूमि पर कब्जा होने का कथन किया है तथा आवंटनर होना बताया है। इस प्रकार पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से पत्रावली में सीधे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

वाद पत्र अन्तर्गत धारार 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की सुने जाने पर बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि भूमि का आवंटन 5 बीघा का हुआ है तथा नामान्तरण भी खोला गया है किन्तु खाते में भूमि 2 बीघा ही दर्ज की गई है जबकि कब्जा काश्त वादी का 5 बीघा भूमि पर है, यह तथ्य वादी एवं उनके गवाह ने भी स्वीकार किया है। अतः 3 बीघा कमी रकबा की घोषणा फरमाई जावें।

बहस में प्रतिवादी पैरोकार सरकार भूमिधारी द्वारा अपनी बहस जवाब अनुसार करते हुए निवेदन किया कि आवंटन पश्चात जो भूमि दर्ज की गई है वह आदेश की पालना में दर्ज की गई तथा भूमि पर कब्जा भी वादी का उतनी ही भूमि पर है एवं वर्तमान में आराजी संख्या 236 जो कि आरक्षित चारागाह भूमि है मे से वादी के खाते भूमि किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत है जिन पर खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हो सकता है, इस प्रकार वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

वाद पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी द्वारा यह दावा राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके लिए वादी द्वारा एक पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 व्य.प्र.सं. के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं तहसीलदार बेगूँ को दिया है जिसकी प्रति प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है। अपने वाद पत्र को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में प्रदर्श–4 खाली सरकार भूमि आवंटन का फार्म नम्बर 5 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादी घीसा पिता ठाकरी को दिनांक 19.05.1989 को मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 मे से रकबा 5 बीघा वंजर भूमि के आवंटन होने का अंकन किया हुआ है। प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन हेतु आवेदन पत्र की प्रति है जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है तथा प्रार्थी घीसालाल पिता ठाकरी को मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 मे से 5 बीघा भूमि आवंटन होने का आदेश दिया गया है। प्रदर्श–7 पर्चा रिपोर्ट पटवार हल्का कैरपुरा की आवंटन भूमि का कब्जासिपुर्द किये जाने का पत्र है। प्रदर्श–8 नक्शाट्रेस आराजी नम्बर 236 का है।

प्रदर्श–9 उप जिलाधीश कार्यालय, बेगूँ द्वारा तहसीलदार बेगूँ को लिखा गया पत्र है जिसमें घीसालाल पिता ठाकरी धोबी को ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 मे से 2 बीघा भूमि को एलोट किये जाने का पत्र है। प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कैरपुरा की सम्वत 2053 से 56 तक की है जिसमें घीसालाल पिता ठाकरी जाति धोबी को आराजी संख्या 327/236 मे से 0.32 हैक्टर भूमि गैरखातेदारी से जरिये ईन्तकाल संख्या 98 से दर्ज किये जाने का अंकन है। प्रदर्श– 11 नकल जमावंदी मौजा लक्ष्मीपुरा सम्वत 2073 से 73 तक की है जिसमें भूमि आराजी संख्या 327/236 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि के वादी घीसालाल खातेदार दर्ज अंकित है। प्रदर्श–12 नकल नामान्तरण संख्या 98 की है जिसमें बिलानाम आराजी संख्या 236 मे से 5बीघा भूमि वंजड का आवंटन श्री घीसलाला पिता ठाकरी के नाम पर किये जाने का अंकन किया गया है किन्तु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के आदेश से भूमि 2 बीघा भूमि का ही आवंटन किये जाने का किये जाने का नोट अंकित नामान्तरण में किया गया है। प्रदर्श–13 व प्रदर्श–14 नकल खसरा गिरदावरी की है। खसरा गिरदावरी में भी 5 वीघा भूमि का अंकन किये जाने का उल्लेख है।

पत्रावली में जहाँ तक वर्तमान जमावंदी के अवलोकन का प्रश्न है उसमें वादी घीसालाल के खाते में मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 का रकवा 0.3200 हैक्टर भूमि खातेदारी की भूमि

ना अंकित किया हुआ है यानि वादी के खतो में 2 बीघा भूमि ही है, साथ ही वादी का कब्जा काश्त भी 2 बीघा भूमि पर है, वादी का यह कथन वादपत्र अनुसार सही है कि उन्हें वक्त आवंटन मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 मे से 5बीघा भूमि का आवंटन किया गया था लेकिन पत्रावली मे प्रदर्श–9 उपजिलाधीश कार्यालय बेगूँ का पत्र है जिसमें वादी आवंटी घीसलाल पिता ठाकरी को आराजी नम्बर 236 मे से 2 बीघा भूमि लगानी 1.40 राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अनतर्गत आवंटन किये जाने का खत है जिसका अंकन नमान्तरण संख्या 98 पर किये जाने से ही वादी के खाते में 2बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। प्रतिवादी भूमिधारी द्वारा अपने जवाब में एवं वक्त बहस में यह कथन किया है कि वर्तमान में मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 आ.नं. मे शेष रकबा 4.13 हैक्टर आरक्षित चारागाह (सेट अपार्ट) होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत है जिन पर खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हो सकता है। वादी ने एवं उनके गवाह ने अपने बयानो के मुख्य परीक्षण के वक्त आराजी संख्या 236 को वर्तमान में बिलानाम होने का कथन किया है लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार हम प्रतिवादी के कथन से सहमत है कि आरक्षित चारागाह भूमि मे से वादी को भूमि दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। वादी को वक्त आवंटन 2 बीघा का ही आवंटन होकर उनके खाते में भूमि 2 बीघा ही दर्ज है जो सही है वादी 5 बीघा भूमि अंकन कराने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2— तनकी नम्बर 2 का निर्णय :—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी राज्य सरकार का है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में किए गए दस्तावेजी निर्णय अनुसार वादी अपनी तनकी को सिद्ध नहीं करा सके है, क्यो कि वादी को वाद वर्णित भूमि में 5 बीघा भूमि आवंटन होने लेकिन उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के आदेश से उनके खाते में 2 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं उतनी ही भूमि पर काबिज होने तथा शेष भूमि 3 बीघा जो कि वह मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 236 मे से अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते है वह वर्तमान में आरक्षित चारागाह होने से उक्त आरक्षित चारागाह से भूमि दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत होने से तथा तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादी राज्य सरकार के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इस प्रकार वादी अपने पक्ष की तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करा पाने में असफल रहने से वादी का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार सिद्ध होने के कारण खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या:– 55/2022

बीसालाल पिता ठाकरी जाति बोबी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधी राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर, चितौडगढ
2. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

निर्णय डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी राज्यकी ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूं की उपस्थिती में वाद अ.धा. 88 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 29.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं